Board of Film Certification with immediate effect for a period of two years or until further orders, whichever is earlier :

[F. No. 809/1/2007-F(C)]

SANGEETA SINGH, Director (Films)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

(भवन शाखा)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 2008

का.आ. 1514.—भारत के राजपत्र के भाग-II 3(ii) दिनांक 11-9-1993 में प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में जो केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को डाक विभाग में सम्पदा अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त करने के बारे में है और तत्पश्चात् एस.ओ. सं. 3209, 3210, और 3211 दिनांक 15-02-95 के साथ प्रकाशित अधिसूचना के तहत जारी संशोधन और इस कार्यालय के दिनांक 14-8-2002 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी संशोधनों के तहत दिल्ली सर्किल में आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

क्रम सं.	सर्किल का नाम	अधिकारी का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	दिल्ली सर्किल	सहायक निदेशक (रा.भा.) मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, दिल्ली सर्किल	दिल्ली डाक सर्किल

[संख्या: 2-119/90-भवन]

वी. एस. चोपड़ा, सहायक महानिदेशक (भवन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT

(Department of Posts)

(Building Branch)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd June, 2008

S.O. 1514.—In connection with the Notification published in the Gazette of India in Part-II 3 (ii) dated 11-9-1993 in respect of the Central Govt. Gazetted Officers appointed to act as Estate Officers in the Department of Posts and amendment issued vide Notification published with S.O. No. 3209, 3210 & 3211 dated 15-2-95 and further amendment issued vide this ofice letter of even number dated 14-8-2002, the following further changes may be made in respect of Delhi Circle:

Sl. No.	Name of Circle	Designation of Officer	Territorial jurisdiction
1.	Delhi Circle	Asstt. Director (OL) Office of the Chief Posmaser General, Delhi Circle	Delhi Postal Circle

[No. 2-119/90-Bldg.]

V. S. CHOPRA, Asstt. Director General (Bldg.)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1515.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 के नियम 6, के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6 फीस

(ख) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा ।"

टिप्पण: निर्यातक द्वारा प्रतिसंदेय संदेय मानीटरिंग फीस की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में है, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए में कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फाईल सं. 2/38/2007-ई आई एंड ईपी(1)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उपखंड-(ii) में तारीख 28 नवम्बर 2000 को सं. का.आ. 2720 तारीख 28 नवम्बर 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 999 तारीख 13-9-2004, का.आ. सं. 715 तारीख 25-2-2005 और का.आ. 1397 सं. तारीख 24-4-2007 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 16th June, 2008

S.O. 1515.—In exercise of the powers conferred Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Milk Porducts (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, for sub-rule (b) of rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

"6 FEE

(b) A monitoring fee @ 0.20% of free on board (F.O.B.) value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.15 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and , for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI & EP (I)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note : The Principal rules were published vide S.O. 2720 dated 28th November, 2000 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 28th November, 2000 and subsequently amended by S.O. 999 (E) dated 13-9-2004, S.O. 715 dated 25-2-2005 and S.O. 1397 dated 24-4-2007.

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1516.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के नियम 6.2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6.2—प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20 % की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक होगा।"

टिप्पण : निर्यातक द्वारा प्रति परेषण संदेय मानीटरिंग फीस की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में है, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए में कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा ।"

[फाईल सं. 2/38/2007-ईआई एंड ईपी (II)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड-(ii) में तारीख 4 अगस्त, 1997 में का.आ. 2078(अ) तारीख 4 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 1443(अ) तारीख 19-12-2003 तथा का.आ. 721 तारीख 25-2-2005 द्वारा किए गए।

New Delhi, the 16th June, 2008

S.O. 1516.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules,1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for rule 6.2 the following rule shall be substituted, namely :—

"6.2—A monitoring fee @ 0.20% of free on board (F.O.B.) value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.15 lakhs per annum per exporter or processor.

Note : The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI & EP (II)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note : The Principal rules were published vide S.O. 2078 dated 4th August, 1997 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 4th August, 1997 and subsequently amended by S.O. 1443(E) dated 19-12-2003 and S.O. 721 dated 25-2-2007.

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1517.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा